



2026:AHC:45888

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-सी संख्या-5959/2026

निन्हकु उर्फ राम ब्रिक

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: अभिषेक श्रीवास्तव, भूपेंद्र कुमार पांडे, सत्यदेव सिंह चौहान

प्रतिवादी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. इससे पहले याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या 57437 वर्ष 2015 दायर की थी, जिसका निस्तारण 12.10.2015 के निर्णय और आदेश द्वारा किया गया था।
2. जब उपरोक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया, तो याचिकाकर्ता द्वारा अवमानना याचिका (दीवानी) संख्या 3757/2016 दायर की गयी जिसे कार्यवाही में कमी के कारण दिनांक 13.02.2023 के निर्णय और आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया।
3. इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता द्वारा वापसी याचिका संख्या 2/2025 दायर की गई जिसे 28 अप्रैल, 2025 को निरस्त कर दिया गया।
4. यह तर्क दिया गया है कि इस न्यायालय द्वारा जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या 57437/2015 में पारित आदेश के अनुपालन के लिए, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष अभ्यावेदन दिया था, चूंकि कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका दायर की गयी है।
5. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया।
6. उपरोक्त के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश पारित किए जाने के दस वर्ष से अधिक समय पश्चात, अब याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या तीन के समक्ष दिनांक 19.10.2015 को प्रस्तुत अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है।
7. उपरोक्त वर्णित तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा विचाराधीन जनहित याचिका में पारित आदेश के अनुपालन हेतु अवमानना याचिका दायर की गई है, और इसे पहले ही निरस्त कर दिया गया है।
8. इस स्थिति में, न्यायालय का मत है कि याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती। निरस्त।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

27 फरवरी, 2026

स्वाति

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”